

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 313/2019 अनवान रघुवीरसिंह बनाम कंवराराम

नम्बर व  
तारीखअहकाम जो  
इस हुकम की  
तामील मे जारी  
हुए

03-11-20

### आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा रामसर का कुआ पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 791 रकबा 0.07 बीघा, खसरा संख्या 985/793 रकबा 47.14 बीघा कुल रकबा 48.01 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा रामसर का कुआ पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 791 रकबा 0.07 बीघा, खसरा संख्या 985/793 रकबा 47.14 बीघा कुल रकबा 48.01 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फ़ैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

जन खण्ड अधिकारी  
बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठाधीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

दिनांक - 03.11.20

अप्रार्थीगण

- 1 कंवराराम पुत्र नाथाराम 2 ईशराराम 3 बाबूलाल 4 लाभूराम 5 मोहनलाल 6 मोटाराम पिसरान हिमथाराम 7 लाधाराम पुत्र कुम्पाराम 8 चैनाराम 9 खेताराम 10 प्रहलादराम 11 जालाराम पिसरान हेराजराम 12 आमूदेवी पत्नी हेराजराम 13 देदाराम 14 कंवराराम पिसरान मगाराम 15 करनाराम पुत्र फत्ताराम 16 केसाराम पिसरान फत्ताराम 17 जेठाराम पुत्र गंगाराम 18 भैराराम 19 सोनाराम 20 भीखाराम 21 कौशलाराम पिसरान मूलाराम 22 नेनूदेवी पत्नी मूलाराम 23 हरूराम 24 देवाराम पिसरान रूपाराम 25 मूलीदेवी पत्नी रूपाराम 26 गोमाराम 27 सरूपाराम पिसरान फूसाराम 28 केसराराम 29 कलाराम पिसरान खेताराम जाति जाट निवासी रामसर का कुआ, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 313/2019

दिनांक- 03.11.20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रामसर का कुआ पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 791 रकबा 0.07 बीघा, खसरा संख्या 985/793 रकबा 47.14 बीघा कुल रकबा 48.01 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/ 2588 - 91

दिनांक- 03.11.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रघुवीरसिंह पुत्र नाथाराम जाति जाट निवासी रामसर का कुआ, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कंवराराम पुत्र नाथाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामसर का कुआ, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर